दिनांक 28.11.2016 को आयोजित ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना का सामाजिक अंकेक्षण होगा

माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2016–17 अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा का आयोजन कर भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा में रखे जाने है।

बजट घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2016–17 की अवधि 01.04.2016 से 31.10.2016 तक के दौरान भामाशाह योजना के माध्यम से हस्तांतरित किए गए लाभों का द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2016 को होने वाली ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त ग्राम सभाओं में संबधित ग्राम सेवक द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार ग्रामवार विभिन्न योजनाओं के भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरित लाभों को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा लाभार्थी विशेष द्वारा लाभों की जानकारी पूछने पर उसे प्रदान किए गए लाभों की जानकारी दी जाएगी। व्यक्ति विशेष की आपत्तियाँ का इन्द्राज कर यथासम्भव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जाएगा। यदि किन्हीं आपत्तियों का मौके पर निराकरण सम्भव ना हो तो ऐसी आपत्तियों को संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।

ग्राम सभाओं में निवासियों को भामाशाह योजना से जुडने के लाभों से भी अवगत कराया जाएगा।